प्र.सं. 305/2023 (GCMS नं.: 2023/518)

ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. बनाम पृथ्वीराज आदि

अन्तर्गत धारा 14 **SARFAESI Act.**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
17.11.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी बैंक से **अप्रार्थीगण ऋणि पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वर लाल, सह ऋणि नीलम सोनी पत्नी पृथ्वीराज, जमानतदार पवन कुमार पुत्र हेमराज ने दिनांक 08.08.2016 को एग्रीमेंट फॉर लोन एण्ड गारण्टी के तहत राशि 10,00,000/– रूपये(अखरे दस लाख रूपये)** का ऋण लिया था। **ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पृथ्वीराज ने अपनी प्रथम सम्पत्ति पट्टा नं. 09 बुक नं. 20 वार्ड नं. 2, 3 एसटीआर, ग्राम पंचायत 24 ए.एस. सी(नई मण्डी घड़साना) साईज 25 इन्टू 50 फीट(1250 स्कवायर फीट) एवं दूसरी सम्पत्ति पट्टा नं. 10 बुक नं. 20 वार्ड नं. 2, 3 एसटीआर, ग्राम पंचायत 24 ए.एस. सी(नई मण्डी घड़साना) साईज 25 इन्टू 50 फीट(1250 स्कवायर फीट) को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा था।** अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया, जिस कारण उनका **ऋण खाता दिनांक 08.02.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है।** अप्रार्थी ऋणी के खाता में दिनांक 19.06.2023 तक राशि 5,50,618/–रूपये शेष व देय निकलते हैं, जिसके भुगतान हेतु अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। प्रार्थी द्वारा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 19.06.2023 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं, ना ही नोटिस का कोई जवाब प्रेषित किया हैं।** इसलिए अप्रार्थी पृथ्वीराज द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी **प्रथम सम्पत्ति पट्टा नं. 09 बुक नं. 20 वार्ड नं. 2, 3 एसटीआर, ग्राम पंचायत 24 ए.एस. सी (नई मण्डी घड़साना) साईज 25 इन्टू 50 फीट(1250 स्कवायर फीट) एवं दूसरी सम्पत्ति पट्टा नं. 10 बुक नं. 20 वार्ड नं. 2, 3 एसटीआर, ग्राम पंचायत 24 ए.एस. सी(नई मण्डी घड़साना) साईज 25 इन्टू 50 फीट(1250 स्कवायर फीट)** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे। मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002** की धारा 14 के अन्तर्गत [illegible] **पर कार्यवाही करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्**[illegible] **चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रे**[illegible] **होना आवश्यक है और धारा 13(2) के तहत जारी** [illegible] **संबंधित ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप** [illegible] **है।** पत्रावली में उपलब्ध प्राथी के प्रार्थना पत्र धारा (14), शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण पृथ्वीराज, नीलम सोनी व पवन कुमार को **राशि 10,00,000/– रूपये(अखरे दस लाख रूपये)** की ऋण राशि की स्वीकृति 08.08.2016 को प्रदान की	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

प्र.सं. 305/2023 (GCMS नं.: 2023/518)
ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. बनाम पृथ्वीराज आदि
अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI Act.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
17.11.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी बैंक से **अप्रार्थीगण ऋणि पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वर लाल, सह ऋणि नीलम सोनी पत्नी पृथ्वीराज, जमानतदार पवन कुमार पुत्र हेमराज ने दिनांक 08.08.2016 को एग्रीमेंट फॉर लोन एण्ड गारण्टी के तहत राशि 10,00,000/- रूपये(अखरे दस लाख रूपये)** का ऋण लिया था। **ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पृथ्वीराज ने अपनी प्रथम सम्पत्ति पट्टा नं. 09 बुक नं. 20 वार्ड नं. 2, 3 एसटीआर, ग्राम पंचायत 24 ए.एस. सी(नई मण्डी घड़साना) साईज 25 इन्टू 50 फीट(1250 स्कवायर फीट) एवं दूसरी सम्पत्ति पट्टा नं. 10 बुक नं. 20 वार्ड नं. 2, 3 एसटीआर, ग्राम पंचायत 24 ए.एस. सी(नई मण्डी घड़साना) साईज 25 इन्टू 50 फीट(1250 स्कवायर फीट) को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा था।** अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया, जिस कारण उनका **ऋण खाता दिनांक 08.02.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है।** अप्रार्थी ऋणी के खाता में दिनांक 19.06.2023 तक राशि 5,50,618/-रूपये शेष व देय निकलते हैं, जिसके भुगतान हेतु अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। प्रार्थी द्वारा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 19.06.2023 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं, ना ही नोटिस का कोई जवाब प्रेषित किया हैं।** इसलिए अप्रार्थी पृथ्वीराज द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी **प्रथम सम्पत्ति पट्टा नं. 09 बुक नं. 20 वार्ड नं. 2, 3 एसटीआर, ग्राम पंचायत 24 ए.एस. सी (नई मण्डी घड़साना) साईज 25 इन्टू 50 फीट(1250 स्कवायर फीट) एवं दूसरी सम्पत्ति पट्टा नं. 10 बुक नं. 20 वार्ड नं. 2, 3 एसटीआर, ग्राम पंचायत 24 ए.एस. सी(नई मण्डी घड़साना) साईज 25 इन्टू 50 फीट(1250 स्कवायर फीट)** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे। मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस की तामील संबंधित ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।** पत्रावली में उपलब्ध प्राथी के प्रार्थना पत्र धारा (14), शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण पृथ्वीराज, नीलम सोनी व पवन कुमार को **राशि 10,00,000/- रूपये(अखरे दस लाख रूपये)** की ऋण राशि की स्वीकृति 08.08.2016 को प्रदान की	

जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agra
Date: 2024.01.06 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested